किशोर न्याय संस्थाओं में विधिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा जारी दिशा-निर्देश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण बेहरुआ बनाम भारत संघ एवं अन्य डब्ल्यू.पी. संख्या (सी) संख्या 473/2005 में किशोर न्याय बोर्ड से संबद्ध विधिक सहायता केन्द्र स्थापित करने के दिनांक 19.08.2011 के आदेश के अनुपालन के संबंध में।

---

1. जब किसी बच्चे को पुलिस द्वारा बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, तो बोर्ड को अपने समक्ष विधिक सहायता वकील को बुलाना चाहिए, किशोर/माता-पिता को वकील से मिलवाना चाहिए, किशोर एवं उसके परिवार/माता-पिता को यह समझाना चाहिए कि विधिक सहायता वकील रखना उनका अधिकार है और इसके लिए उन्हें किसी को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है।
2. किशोर न्याय बोर्ड को सुनवाई करने से पूर्व विधिक सहायता वकील को किशोर एवं उसके माता-पिता से बातचीत करने का समय देना चाहिए।
3. किशोर न्याय बोर्ड को अपने आदेश में यह उल्लेख करना चाहिए कि विधिक सहायता वकील नियुक्त किया गया है तथा आदेश में विधिक सहायता वकीलों के नाम और उपस्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे और उसके माता-पिता को विधिक सहायता वकील से परिचित होने और सुनवाई से पहले मामले पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
5. किशोर न्याय बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी किशोर का मामला विधिक सहायता वकील के बिना न रहे।
6. किशोर न्याय बोर्ड को महीने के अंत में विधिक सहायता वकीलों को उपस्थिति का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए तथा उनके किए गए कार्य की रिपोर्ट भी सत्यापित करनी चाहिए।
7. विधिक सहायता वकीलों की ओर से किसी भी चूक या गलत काम के मामले में, बोर्ड को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए तथा सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।
8. किशोर न्याय बोर्ड और विधिक सहायता वकीलों को समझदारी, एकजुटता और समन्वय की भावना से काम करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
9. विधिक सहायता अधिवक्ता को किशोर न्याय कानून और किशोर अपराध के बारे में अच्छी समझ विकसित करनी चाहिए, किशोर न्याय पर कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों को पढ़कर और उनमें भाग लेकर।
10. विधिक सहायता अधिवक्ता को केंद्र में एक डायरी रखनी चाहिए, जिसमें नियमित रूप से मामलों की तारीखें दर्ज की जाएं।
11. यदि कोई विधिक सहायता अधिवक्ता छुट्टी पर जाता है या किसी दिन बोर्ड में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अनुपस्थिति में उसके साथी विधिक सहायता अधिवक्ता मामलों की सुनवाई करें और उस मामले की उपेक्षा न हो।
12. विधिक सहायता अधिवक्ता को विधिक सहायता कार्य को दान के रूप में नहीं लेना चाहिए और उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए।
13. विधिक सहायता अधिवक्ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मासिक बैठक में मुद्दे/चिंताएं/समस्याएं उठानी चाहिए।

14. विधिक सहायता अधिवक्ता को प्रत्येक मामले की फाइल रखनी चाहिए और कार्यवाही की दैनिक प्रविष्टि करनी चाहिए।

15. विधिक सहायता वकील को किसी मामले को लेने के लिए किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बुलाए जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। किशोर न्याय बोर्ड में आने वाले परिवारों से संपर्क करके स्वयं ही मामले को लेने का प्रयास करना चाहिए।

16. विधिक सहायता वकील को उन बच्चों/उनके परिवारों में विश्वास और भरोसा जगाना चाहिए, जिनका मामला वे लेते हैं और उन्हें हर संभव मदद दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

17. विधिक सहायता वकील को विधिक सहायता पैनल में शामिल होने की शर्तों और नियमों का पालन करना चाहिए।

18. विधिक सहायता वकील को सत्यापन के लिए प्रत्येक महीने के एक सप्ताह के भीतर किशोर न्याय बोर्ड को अपने मासिक कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और भुगतान की प्रक्रिया के लिए उपस्थिति प्रमाण पत्र के साथ संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए।

19. विधिक सहायता वकील को ग्राहक को सुनवाई की अगली तारीख के बारे में सूचित करना चाहिए और उसे अपना फोन नंबर ग्राहक को देना चाहिए, ताकि वे किसी भी आवश्यकता के समय कॉल कर सकें।

सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण।